न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री दिनेश चन्द जैन, आई.ए.एस.

राजस्व विविध :: 86/2017

प्रार्थी :–	**बनाम**	**अप्रार्थीः–**
सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण जिला पाली		1. जमकूडी के कायम मुकाम 1/1. कालूराम पुत्र केसू 1/2. ढगलाराम पुत्र केसू 1/3. परमाराम पुत्र केसू आनन्दपुर कालू, तहसील जैतारण, जिला पाली (राज.)

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित

अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता जगदीश सोलंकी अनुपस्थित

–:: आदेश ::–

दिनांक : 14-10-19

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) जैतारण द्वारा यह प्रार्थना पत्र याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम आनन्दपुर कालू, पटवार हल्का आनन्दपुर कालू II तहसील जैतारण के खसरा नम्बर 1706 किस्म गै.मु. नदी में से किस्म परिवर्तन कर अप्रार्थीगण के पिता के हक में रकबा 0.10 बीघा किस्म गै.मु. बाडा का नियमन किया गया, जिसके बट्टा नम्बर 1706/2 पड़े को निरस्त करने के लिए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरन्स प्रेषित करने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के वकालतन एवं असालतन अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर आदेश पारित किया गया।

प्रार्थी तहसीलदार जैतारण ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया कि ग्राम आनन्दपुर कालू, पटवार हल्का आनन्दपुर कालू II, तहसील जैतारण जिला पाली के खसरा नम्बर 1706 किस्म गै.मु. नदी में से किस्म परिवर्तन कर अप्रार्थीगण के पिता के हक में रकबा 0.10 बीघा किस्म गै.मु. बाडा का नियमन किया गया, जिसके बट्टा नम्बर

जिला कलेक्टर, पाली

1706/2 पडे। खतौनी बन्दोबस्त अनुसार खसरा नम्बर 1706 गैर मुमकिन नदी दर्ज थी। जिसका नियमन अप्रार्थीगण के पिता केसू के पक्ष में तहसीलदार जैतारण द्वारा आदेश दिनांक 24.07.1980 के द्वारा किस्म परिवर्तन कर गै.मु. नदी से गै.मु. बाडा कर किया गया है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से नियमन नहीं किया जा सकता है। तहसीलदार द्वारा किया गया उक्त नियमन विधि विरूद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालनार्थ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रश्नगत आराजी की भूमि के निमयन आदेश दिनांक 24.07.1980 के साथ ही उससे संदर्भित नामान्तरकरण संख्या 763 एवं इसके पश्चातवृती नामान्तरकरण संख्या 1184 को भी निरस्त करवाकर पुनः गैर मुमकिन नदी दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स फरमाया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में उल्लेख किया कि प्रार्थी तहसीलदार ने जैर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स न्यायालय अति. जिला कलक्टर पाली के राजस्व विविध 83/2012 बअनवान सरकार बनाम शंकरलाल के आदेश के अनुसार 15 दिवस में पेश नहीं कर पांच साल पश्चात न्यायालय में पेश किया है, जो कानूनन चलने योग्य नहीं होने से खारिज योग्य है। न्यायालय द्वारा आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया है कि आवंटन/नियमन आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ पुनः रेफरेन्स पेश करें। मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट नहीं हो रहा कि जल के प्राकृतिक प्रवाह में नियमन से रूकावट पैदा हो रही है। एक प्रकरण को दुबारा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ऐसा किया जाना रेश जुडिकेटा की तारिफ में आता है। अप्रार्थीगण का मकान व बाडा केचमेन्ट क्षेत्र में नहीं है, अप्रार्थीगण एक गरीब काश्तकार है तथा पिछले 50-60 वर्षो से उक्त भूमि पर मकान बनाकर काबिज है तथा तहसीलदार द्वारा पूर्व में निर्णित रेफरेन्स में पारित आदेश दिनांक 03.09.2013 में श्रीमान अति. जिला कलक्टर, पाली द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना नहीं की गई हैं। इसलिए रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी के जवाब का एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम आनन्दपुर कालू, पटवार हल्का आनन्दपुर कालू II तहसील जैतारण के खसरा नम्बर 1706 किस्म गै.मु. नदी में से किस्म परिवर्तन कर, अप्रार्थी के पिता के हक में रकबा 0.10 बीघा किस्म गै.मु. बाड़ा का नियमन किया गया, जिसके बट्टा नम्बर 1706/2 पडे, जो पत्रावली संलग्न खतौनी बन्दोबस्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 1706 गैर मुमकिन नदी दर्ज थी। जिसका नियमन अप्रार्थी के पिता केसू पुत्र शिवकरण माली को तहसीलदार जैतारण ने अपने

जिला कलेक्टर, पाली

आदेश दिनांक 24.07.1980 के द्वारा किस्म परिवर्तन कर किया गया, जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 763 स्वीकृत किया गया, जिसके द्वारा अप्रार्थी को खातेदार दर्ज किया गया तथा केसू की मृत्यु के पश्चात अप्रार्थीगण के हक मे फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 1184 दर्ज किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने जवाब में उल्लेख किया कि मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट नहीं हो रहा कि जल के प्राकृतिक प्रवाह में नियमन से रूकावट पैदा हो रही है, जबकि पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 04.02.2017 से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा बाड़ा बनाकर जो निमार्ण किया गया है, उससे नदी का प्राकृतिक बहाव एवं जलप्रवाह अवरूद्ध हो गया है। वक्त नियमन जैर प्रार्थना पत्र आराजी गैर मुमकिन नदी दर्ज थी, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से अप्रार्थीगण के पिता के हक में किया गया, नियमन विधि विरूद्ध है तथा स्पष्टतया खारिज योग्य है। इसके साथ ही जैर प्रार्थना पत्र आराजी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1539/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 से भी पूर्णतः प्रभावित होने से तहसीलदार जैतारण आदेश दिनांक 24.07.1980 तथा उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 763 एवं इसके पश्चातवृती नामान्तरकरण संख्या 1184 को कायम रखा जाना विधि सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, जैतारण द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के पिता केसू पुत्र शिवकरण माली निवासी आनन्दपुर कालू तहसील जैतारण जिला पाली (राज.) के पक्ष में तहसीलदार जैतारण द्वारा जो नियमन किया गया, उक्त आदेश दिनांक 24.07.1980 एवं उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 763 एवं उसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 1184 को निरस्त फरमाया जावे एवं उक्त आराजी की किस्म परिवर्तन कर गै.मु. बाडा से पुनः गैर मुमकिन नदी दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स प्रार्थना पत्र सादर प्रेषित है।

(दिनेश चन्द जैन)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली